

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/ 77

दिनांक:- 4/10/19

### आदेश


अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर के द्वारा उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर के अधीन नई आवासीय योजना, हनुमानगढ़ व नई आवासीय योजना, सुरतगढ़ में कुल 30 आवासो/फ्लैट्स का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशांषा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	फ्लेट संख्या	फ्लेटों की संख्या
1.	नई आवासीय योजना सुरतगढ़	EWS (Complete)	1/103, 1/142, 3/105, 3/204, 3/211, 3/216, 3/224, 3/225	8
2.	नई आवासीय योजना डी.टी.ओ. कार्यालय के पास हनुमानगढ़	EWS (G+2) G.F.	C/E/122, C/E/170	2
		EWS (G+2) F.F.	C/E/116, C/E/365	2
		LIG (G+2) G.F.	C/L/62, C/L/110, C/L/304, C/L/328, C/L/337, C/L/350	6
		LIG (G+2) F.F.	C/L/104, C/L/113, C/L/271, C/L/320, C/L/330, C/L/334, C/L/356	7
		LIG (G+2) S.F.	C/L/120, C/L/143, C/L/273	3
		MIG-A (G+2) G.F.	B/M/14, B/M/16	2
<b>Total</b>				<b>30</b>

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-कोटा एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-तृतीय द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध फ्लेटों का खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-


1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 12/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
 (डॉ० प्रसाद व्यास)  
 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-बीकानेर, राजस्थान आवासन मण्डल, बीकानेर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-हनुमानगढ़ राजस्थान आवासन मण्डल, हनुमानगढ़।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक